26/2/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2023/66

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 44/2023 GCMS 2023/66 दायर दिनांकः– 06–04–2023

हुणताराम पुत्र चुनाराम जाति जाट साकिन देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

-----प्रार्थी

बनाम

1–गुमानाराम पुत्र चुनाराम जाति जाट साकिन सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

2–परमेश्वरी पत्नी मनफूलराम पुत्री चुनाराम जाति जाट निवासी दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0

3– जगमालराम पुत्र चुनाराम (फौत) जरिये वारिसान

3/1– किशनलाल
3/2– मनीराम
3/3–अमीचन्द
3/4– हसराज
3/5–चेतराम
3/6–गिरदावरी
3/7–सजना
3/8– इन्द्रा
3/9– सुमित्रा

} पुत्र/पुत्रीया जगमालराम अकवाम जाट साकिनान देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

4– मेघाराम पुत्र चुनाराम (फौत) जरिये वारिसान

4/1–मोहनलाल
4/2–पृथ्वीराज
4/3– गोपीराम
4/4–भंवरी
4/5–सरबती
4/6–गोमती
4/7– इन्द्रा
4/8– महेश्वरी

} पुत्र/पुत्रीया मेघाराम अकवाम जाट साकिनान देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–बालूराम पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

6– ममता पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

8–शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा सूरतगढ

6–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

-----अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 25 [illegible] आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री जसवीर सिंह [illegible] अभिभाषक

2– श्री सर्वजीत छाबड़ा [illegible] सं0 05 व 06

3– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

—:— निर्णय —:—

दिनांक:— 26.02.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के पिता/ दादा के नाम से भूमि वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 67/51 के खसरा न0 24 में 4.173 है0 , खसरा न0 317 में 1.214 है0 , खसरा न0 328 में 6.728 है0 , खसरा न0 334 में 0.822 है0 , खसरा न0 338 में 4.312 है0 कुल 17.249 है0 खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी सं0 5 व 6 के नाम वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ के खातास 0 145/123 के खसरा न0 25 में 13.151 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के पिता/ दादा चूनाराम पुत्र घेरूराम का देहान्त हो चुका है । जिसके देहान्त उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 4 वारिसान है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के पिता/ दादा चूनाराम के नाम की भूमि में अपने अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है । उक्त भूमि के खसरा न0 24 में 4.173 है0 बारानी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नही होने से प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 4 को अपने चिपते अप्रार्थी सं0 5 व 6 की भूमि खसरा न0 25 की 13.151 है0 बारानी दोयम में से दक्षिण दिशा उतर की तरफ एवं खसरा न0 24 के दक्षिण दिशा में 2–2 बिस्वा चौड़ापई में चालू रास्ता से हर्सा दराज से आवागमन करते आ रहे है । प्रार्थी उक्त रास्ता को मंजूर करवाना चाहता है । उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को नही लगता है । उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 भूमि के बदला में भूमि या डी एल सी दर से राशि देने को तैयार है । वर्तमान में चल रहा उक्त रास्ता मंजूर शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी ने उक्त रास्ता मंजूर करने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान का तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट आने के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 5 व 6 जरिये अभिभाषक सर्वजीत छाबड़ा उपस्थित हुये। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 व 5 बावजूद समन तामिल हाजिर नही आये उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

इसके पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 5 व 6 के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के पिता/ दादा के नाम से भूमि वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 67/51 में कुल 17.249 है0 खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी सं0 5 व 6 के नाम वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ के खाता स0 145/123 के खसरा न0 25 में 13.151 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के पिता/ दादा चूनाराम पुत्र घेरूराम का देहान्त हो चुका है । जिसके देहान्त उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 4 वारिसान है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के पिता/ दादा चूनाराम के नाम की भूमि में अपने अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है । उक्त भूमि के खसरा न0 24 में 4.173 है0 बारानी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नही होने से प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 4 को अपने चिपते अप्रार्थी सं0 5 व 6 की भूमि खसरा न0 25 की 13.151 है0 बारानी दोयम में से दक्षिण दिशा उतर की तरफ एवं खसरा न0 24 के दक्षिण दिशा में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में चालू रास्ता से हर्सा दराज से आवागमन करते आ रहे है । प्रार्थी उक्त रास्ता को मंजूर करवाना चाहता है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को नही लगता है। उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 भूमि के बदला में भूमि या डी एल सी दर से राशि देने को तैयार है । वर्तमान में चल रहा उक्त रास्ता मंजूर शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी ने उक्त रास्ता मंजूर करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अप्रार्थी सं0 5 व 6 के अभिभाषक ने निवेदन करते हुये बताया कि खसरा न0 24 में कास्तकार दर्ज किये है जिन्हे पक्षकार नही बनाया गया क्योकि वे भी खसरा न0 24 के कास्तकार है प्रार्थी स्वयं भी खसरा न0 24 का कास्तकार है । प्रार्थी के अलावा अन्य किसी भी अंकित खसरा न0 24 के कास्तकार द्वारा रास्ता की मांग नही की गई । प्रार्थी अकेले द्वारा रास्ता की मांग की गई है । खसरा न0 25 में आबादी भूमि है । कभी रास्ता ना तो मंजूर हुआ वा ना ही मौके पर चल रहा है रास्ता अन्य जगह ओर उपलब्ध है जिससे प्रार्थी आता जाता है पटवारी हल्कमा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है प्रार्थी को खसरा न0 24 के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो देईदासपुरा से होते हुए खसरा न0 51 , 52 में है । खसरा न0 24 चक कोनपालसर का है । प्रार्थी को आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता होते हुए रनया रास्ता मंजूर करवाने के अधिकारी नही है इसलिए प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी न0 1 ता 4 के नाम से खातेदारी भूमि वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 67/51 के खसरा न0 24 में 4.173 है0 खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है। प्रार्थी रकबा अप्रार्थी सं0 5 व 6 खसरा न0 25 की 13.151 है0 बारानी दोयम में से दक्षिण दिशा उतर की तरफ चालू रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि के आवागमन कर रहा है। उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 5 व 6 की खातेदारी भूमि वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ के खसरा न0 25 में 13.151 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से दक्षिण दिशा उतर की तरफ रास्ता प्रत्येक बिघा में 2 विस्वा – 2 विस्वा रकबा अप्रार्थी सं0 5 व 6 के नाम से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रार्थी को गैर मु0 रास्ता की एवज में डी एल सी (DLC) दर की दुनी राशि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जमा करवाने जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिया जाता है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.02.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested